ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 208-211
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

भूख खाद्यान और खाद्य सुरक्षा के पहल

डॉ0 विवेक कुमार पाण्डेय
असि0 प्रोफेसर– अर्थशास्त्र, राजीव गाँधी डी0 ए0 वी0 महाविद्यालय, बांदा (उ0प्र0) भारत

निसंदेह भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, परंतु भूख की वैश्विक स्थिति में भारतवर्ष विश्व के उन राष्ट्रों में शुमार है जहां कुपोशण के आंकड़े हमें चिंतित करते हैं। इस प्रकार यह बात बिल्कुल सही दिखती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो संपन्न है, परंतु यहां बसने वाले आम नागरिकों को दो–जून की रोटी भी मयस्सर नहीं हो पा रही है। नोवेल पुरस्कार विजेता और प्राख्यात अर्थशास्त्र प्रो. अमर्त्यसेन ने कहा है कि अगर– ''विकास दर बढ़ने से गरीबो को कोई लाभ नही मिलता तो इस प्रकार के विकास निरर्थक है''। इसके साथ ही साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो.एन.के.कृष्णन के कथन को ध्यान रखना चाहिए कि–''राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है।'' और आज भारत के कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा भरपेट भोजन की मूलभूत समस्यों से जूझ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ;प्थ्च्त्प्द्ध द्वारा जारी कुल 119 राष्ट्रों के मध्य ग्लोबल हंगर रिपोर्ट–2017 में भारतवर्ष पिछले वर्ष की रैंकिग 97वें स्थान से फिसल कर 100वें स्थान पर चला गया। ऐसी शर्मनाक तस्वीर के मध्य हम दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करने का दिखावापन देख रहें है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2017 में भारतवर्ष पिछले वर्ष की रैंकिग 97वें स्थान से फिसल कर 100वे स्थान पर चला गया ऐसी शर्मनाक तस्वीर के मध्य हम दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करने का दिवास्वपन देख रहे है।

यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा की योजनाओं का इतिहास देखा जाए तो यह वर्ष 1947 से ही सबको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना भारतीय नीति–नियंताओं का प्रमुख लक्ष्य रहा है। आम जनमानस को भरपेट भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास पर केंद्रित थी। हमारे कृषि वैज्ञानिकों कृषि से जुड़े प्रशासकों व प्रसार कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ तत्कालीन भारतीय राजनीतिज्ञों के दूरदर्शितापूर्ण निर्णय ने देश में हरित क्रांति का सूत्रपात किया। फलतः देश खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने लगा किन्तु इस कामयाबी के बावजूद हमारी समस्याएँ कम नहीं हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धिमान खाद्यान्न उत्पादन को निम्न सारणी के माध्यम से समझा जा सकता है –

खाद्यान्न और दाल की सकल उपलब्धता वर्ष	उपलब्ध मात्रा (मिलीयन टन)		प्रति व्यक्ति एकल उपलब्धता (ग्राम प्रतिदिन)		
	अनाज	दालें	अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
2001	145.6	11.3	386.2	32.0	458.0
2002	175.9	13.6	458.7	35.4	417.0
2003	159.3	11.3	408.5	29.1	437.6
2004	169.1	14.2	426.9	35.8	462.7
2005	157.3	12.7	390.9	31.5	422.4
2006	168.8	13.3	412.8	32.5	445.3
2007	169.0	14.7	407.4	35.5	442.8
2008	165.9	17.6	394.2	41.8	436.0
2009	173.7	15.8	407.0	37.0	444.0
2010	173.8	15.3	401.7	35.4	437.1
2011	180.1	18.9	410.6	43.0	453.1
2012	181.0	18.4	408.6	41.7	450.3
2013	210.3	18.8	468.9	41.9	510.8

कृषि उत्पादन का वृद्धिमान तस्वीर हमें सन्तोष प्रदान कराती है, यदि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के मध्य कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान देखा जाय तो यह 13.7 प्रतिशत है। इसके साथ ही साथ यदि कृषि उत्पादन व खाद्यान्न उपलब्धता को भूतकाल व वर्तमान के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाय तो खाद्य सुरक्षा का संकट देश के सामने खड़ा दिखता है। भारतवर्ष के जनांकिकी आकड़े यह बताते हैं कि हम सन् 2025 तक विश्व की सबसे बड़ी आबादी के प्रतिनिधि होंगे। बृद्धिमान जनसंख्या की वर्तमान गति यह बतलाती है कि सन् 2050 तक अपना खाद्य उत्पादन हमें लगभग दो गुना करना होगा जो अनेकानेक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दुश्वारियों के कारण दुर्गम सा प्रतीत होता है। भारतवर्ष में सन 2050 में विभिन्न खाद्य पदार्थों की माग का अनुमान निम्न प्रकार से लगया गया है–

अनुरूपी लेखक

विवरण	सन् 2010–11	सन् 2050
जनसंख्या (करोड़ में)	122.46	165
औसतन कैलोरी (किलो कैलरी/व्यक्ति)	2500	3000 से अधिक
अनाज (करोड़ टन)	24	40
फल एवं सब्जिया (करोड़ टन)	20	54
दूध (करोड़ टन)	12	37.5

यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य–सुरक्षा का अध्ययन किया जाए तो इस दिशा में अनेक योजनाएँ संचालित की गई है। भारत में खाद्य–सुरक्षा योजनाएँ एक बच्चे के जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक खाद्य–सुरक्षा प्रदान करती है। जब कोई महिला गर्भधारण करती है तो 'एकीकृत बाल विकास सेवा' के माध्यम से आंगनबाड़ी–केन्द्र के जरिए उसे सहायता मिलती है। गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवनयापन करने वाली माताओं को 'मातृत्व लाभ योजना' खाद्य–सुरक्षा प्रदान करती है, इसके अंतर्गत 8 से 12 सप्ताह तक पर्याप्त पोषण की गारंटी है। बच्चों के जन्म के बाद आंगनबाड़ी–केन्द्रों के माध्यम से इन्ट्रीगेटेड चाइल्ड डेवलपमेण्ट सर्विस (ICDS) द्वारा उसकी पोशण की जरूरतों को पूरा करने का काम किया जाता है। जब वह थोड़ा बड़ा होकर स्कूल जाना प्रारम्भ करता है तो 'मिड–डे मील' के तहत उसे खाद्य–सुरक्षा प्रदान किया जाता है। बच्चों के वयस्क होने पर 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' के माध्यम से उसे खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अत्यंत गरीबों के लिए 'अंतोदय–योजना' के माध्यम से सस्ते मूल्य पर अनाज प्रदान कराया जा रहा है। 'काम के बदले अनाज योजना', 'अन्नपूर्ण योजना', अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के लिए 'अनाज आपूर्ति कार्यक्रम' कल्याणकारी संस्थाओं के लिए 'अनाज आपूर्ति कार्यक्रम', 'आपात आहार कार्यक्रम', 'ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम' आदि के द्वारा भारतवर्ष में खाद्य–सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। परंतु लक्ष्य की प्राप्ति दूर की कोड़ी सी प्रतीत हो रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में खाद्य–सुरक्षा से संबन्धित कानून की आवश्यकता महसूस हो रही है।

देश के 62वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2009) पर भारतवर्ष के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लाल–किले के प्राचीर से कहा था कि "हम चाहते हैं कि हमारे देश का काई भी नागरिक कभी भी भूखा पेट ना सोए, इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि हम एक खाद्य–सुरक्षा कानून बनाएंगे जिसके तहत गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवारों को प्रतिमाह एक निश्चित मात्रा में रियायती मूल्य पर अनाज प्रदान किया जाएगा।" अपने किए गए वादे अनुरूप केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य–सुरक्षा बिल 2011 जिसे 22 दिसंबर 2011 को उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री के.वी. थामस ने लोकसभा में पेश किया था। एक लंबे गतिरोध के पश्चात् 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा इसे लागू किया गया, बाद में इसे लोकसभा ने 26 अगस्त 2013 को तथा राज्यसभा ने 2 सितंबर 2013 को पारित कर दिया। राष्ट्रपति ने भी 12 सितंबर 2013 को इस पर अपनी मंजूरी का मुहर लगा दी। यह कानून देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देता है।

इस अधिनियम के तहत देश की दो तिहाई आबादी को 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (पीडीएस) के माध्यम से सस्ते दर पर अनाज पाने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित अवधि में राशन की दुकान से अनाज नहीं मिलता तो वह व्यक्ति 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' का दावा करने का हकदार है। खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत लाभार्थियों की दो श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें से एक प्राथमिक समूह तथा दूसरा सामान्य समूह हैं– इनमें क्रमशः 46 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत लाभार्थी हैं। प्राथमिक समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 5kg अनाज– चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज क्रमषः 3रु., 2रु., और 1रु. प्रति kg के दर से प्रदान किया जाएगा। इस कानून में गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप निशुल्क भोजन के रूप में पोषणिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है। इसके अलावा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालयों में 'मिड–डे मील' के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया, साथ ही अभावग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिदिन एक बार भोजन, आवास रहित को सामुदायिक रसोई में भोजन तथा भूखे व्यक्तियों को 6 माह तक प्रतिदिन दोनों समय भोजन भी इस कानून में शामिल है। खाद्य सुरक्षा कानून को भूख से लड़ने के मामले में दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के कुछ और भी प्रमुख प्रावधान है जिनका संक्षिप्त निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है–

यह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का सामाजिक ऑडिट किया जाना है।

इसके तहत प्रति परिवार 35 kg अनाज प्रति माह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। साथ ही गरीब परिवारों के पहचान के कार्य में राज्य सरकारों को शामिल किया जाना है।

मातृत्व सहयोग के रूप में गर्भवती महिलाओं को रु. 6000 की आर्थिक मदद का प्रावधान है।

दोषी कर्मचारियों को रु. 5000 तक जुर्माने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अनुसार राज्यवार खाद्यान्न का आवंटन

क्र.सं.	राज्य	मात्रा (लाख टन में)	क्र.सं.	राज्य	मात्रा (लाख टन में)
1	आन्ध्र प्रदेश	32.10	19	मिजोरम	00.66
2	अरूणाचल प्रदेश	00.89	20	नागालैण्ड	01.38
3	असम	16.95	21	उड़ीसा	21.09
4	बिहार	55.27	22	पंजाब	08.70
5	छत्तीस गढ़	12.91	23	राजस्थान	27.92
6	दिल्ली	05.73	24	सिक्किम	00.44
7	गोवा	00.59	25	तमिलनाडु	36.78
8	गुजरात	23.95	26	त्रिपुरा	02.71
9	हरियाणा	07.95	27	उत्तर प्रदेश	96.17
10	हिमाचल प्रदेश	05.08	28	उत्तराखण्ड	05.03
11	जम्मू और कश्मीर	07.51	29	पं. बंगाल	38.49
12	झारखण्ड	16.96	30	अण्डमान नीकोबार द्वीप समूह	00.16
13	कर्नाटक	25.56	31	चण्डीगढ़	00.31
14	केरल	14.25	32	दादर एवं नगर हवेली	00.15
15	मध्य प्रदेश	34.68	33	दमन दीव	00.07
16	महाराष्ट्र	45.02	34	लक्ष्यद्वीप	00.05
17	मणिपुर	01.58	35	पाड़िचेरी	00.50
18	मेघालय	01.76		योग	549.26

स्रोत–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20)

भारतवर्ष की आजादी के सात दशक बाद आखिरकार देश की गरीब जनता को कानूनी रूप से खाद्य–सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ, अब प्रश्न यह उठता है कि यदि 67 प्रतिशत आबादी को आज भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना पड़ रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दशा व दिशा को फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक के विकास के आयाम समझने होगे।

देश के गरीब जनता को कानूनी रूप से खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ परन्तु इसे वास्तविकता के धरातल पर उतारने में कई चुनौतियां आ रही हैं। इस कानून का क्रियान्वयन 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के माध्यम से हो रहा है। विभिन्न अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' में 40: तक का लीकेज है, ऐसी परिस्थिति में सरकार खाद्य–सुरक्षा हेतु जो अनाज गरीबों को सस्ते दर पर उपलब्ध करा रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में इस कानून के क्रियान्वयन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी के ठोस प्रबन्धन की आवश्यकता है। जिससे गरीब जनता को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं सही मूल्य, सही गुणवत्ता, सही विधि और सही समय पर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही साथ आज तक राज्यों ने ऐसा कोई प्लेटफार्म तैयार नहीं किया है, जिस पर कोई भी नागरिक आसानी से यह जानकारी प्राप्त कर सके कि कितने लोग 'खाद्य–सुरक्षा कानून' से लाभान्वित हुए तथा कितने वंचित रह गए साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली ;पी.डी.एस.) को प्रभावशाली बनाने के लिए अनाज की सार्वजनिक खरीद, भंडारण और परिवहन की व्यवस्था को उन्नत बनाने की आवश्यकता है।

कृषि उत्पादन तथा उसके भण्डारण के वृद्धिमान आकड़ो के मध्य गोदामो में सड़ते अनाज व भूख से मरने वाले निरीह लोगो के आकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास व खाद्य–सुरक्षा के तमाम स्वप्नदर्शी योजनाए के स्वयं साक्षी है। खाद्य पदार्थो तक गरीबो की पहुच आर्थिक व भौतिक दोनो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, दुर्भाग्यवश इन दोनो ही मोर्चो पर गरीबो को समस्याएं रही हैं। भारतवर्ष में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाएं गरीबो की आर्थिक स्थिति में सुधार करके खाद्य पदार्थो तक गरीबो की आर्थिक पहुँच तथा दूसरी तरफ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खाद्य पदार्थो की भौतिक

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

पहुॅच बहुत संतोषजनक परिणाम नही प्रदर्शित कर रहे है।

आंकड़े देखे जाऍ तो एक तरफ भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी दिखता है तो दूसरी तरफ भूख से मरने वाले भी चिंतनीय परिदृश्य दिखते हैं, साथ ही कुपोषण की समस्या एक आम समस्या हो गई है। कुपोषण से निपटने के लिए पोषक एवं पारंपरिक फसलों जैसे– ज्वार, बाजरा, मक्का का उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ आमजन के पोषण को ध्यान में रखते हुए, कृषि वैज्ञानिकों को बायो–फोर्टिफाइड फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, जिनमें स्वास्थ्यवर्धक पोषक–तत्व उपस्थित हो, साथ ही साथ कृषि के समक्ष खड़ी गंभीर चुनौतियां जैसे बढ़ती हुई आबादी, संसाधनों का ह्रास, मृदा की घटती उत्पादकता एंव उसका ह्रासमान स्वास्थ्य, वैश्विकतपन व जलवायु परिवर्तन, जोतो के छोटे आकार आदि समस्याओं का हल ढूढ़ना होगा तत्पश्चात ही भारतवर्ष अपने नागरिकों को कुपोषण मुक्त सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध करा सकेगा ताकि वे स्वस्थ होकर भारतवर्ष के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. योजना।
2. कुरूक्षेत्र।
3. द हिन्दू।
4. ग्लोबल हंर रिपोर्ट–2017.
5. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15.
6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वार्षिक रिपोर्ट–2015.
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013.
8. भारतीय अर्थव्यवस्था–दत्त, सुन्दरम।
9. दैनिक जागरण।

*****